वाद सं. - 32/10 शीर्षक मोहन बनाम गोकुल

	कार्यवाही प्रकरण
	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उपक्रम का पालन पेशगी कर दी गयी कथन पढ़े गये। प्रपत्र 22 नियम 3 को स्वीकार किया जाकर वादी व 111 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली वादी साक्ष्य प्रतिवादी के लिये 22/3/18 को पेश हो। शाकि
	22/3/18 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी साक्ष्य अपने वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-2 आवाजें दिलाई कोई उपस्थित नहीं आया। जिससे वादीगण का वाद पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम कि जावे। सहायक कलक्टर (उप खण्ड अधिकारी) पैलाभगत